रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 480] नई दिल्ली, शनिवार, अक्तूबर 29, 1983/कार्तिक 7, 1905
No. 480] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 29, 1983/KARTIKA 7, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अक्तूबर, 1983

सं. 291/83/-सीमाशुल्क

का.आ. 781(अ) :—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्नाटक राज्य में मैसूर में जयनगर को भाण्डागार स्टेशन के रूप में घोषित करता है ।

[फा. सं. 473/170/83-सीमाशुल्क-7]

आनन्द छाबड़ा, सचिव,
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड

CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th October, 1983

No. 291|83-CUSTOMS

S.O. 781(E).—In exercise of the powers conferred by section 9 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) the Central Board of Excise and Customs hereby declares Jayanagar in Mysore in the State of Karnataka, to be a warehousing station.

[F. No. 473|170|83-CUS. VII]

A. K. CHHABRA, Secy.,
Central Board of Excise and Customs.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983.